सख्या:-39/2026/आई-1269179/001-190आ0-23-5099-099-118-2025
(कम्प्यूटर सं0-1989236)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के 01 चालू कार्य हेतु जी0एस0टी0 की अवशेष अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊके पत्र सं0-1003बी0जी0बी0/112बी0जी0बी0/जी0एस0टी0मांग/2025-26, दिनांक 11.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के 01 चालू कार्य हेतु स्वीकृत मूल/पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि **रू0 03.99 लाख (रूपये तीन लाख निन्यानबे हज़ार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत/ पुनरीक्षित धनराशि	पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष बचत की धनराशि	आवंटन की कुल धनराशि	अब तक आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1241ईजी/23-5-14-50(39)ईजी/14, दिनांक 19.09.2014 एवं 01/2017/1307ईजी/23-5-16-50(39)ईजी/14, दिनांक 02.01.2017 एवं 27/2026/आई-1248115/001-51आ0/23-5009-099-118-2025 दिनांक-23.02.2026	उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय भवन के उन्नयन कार्य।	1082.13	0.00	1082.13	1078.14	03.99	03.99
योग								03.99

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

1- प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी अवशेष धनराशि का भुगतान कदापि नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि के संपरीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किये जाय। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- किसी भी स्थिति में कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग का होगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय कदापि नही किया जायेगा।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6- लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

7- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगा। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0- ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75/2011, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

8- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

9- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

10- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11- प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति(डुपलीकेशी) को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

12- प्रश्नगत प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024, कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का एवं समय-समय पर यथा संशोधित सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

15- उक्त व्यय का वहन आय-व्ययक के सुसंगत मद के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रायोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय,लो0नि0वि0,लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

17- समस्त धनराशि का आहरण-वितरणसम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

18- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 3,99,000 (रूपये तीन लाख निन्यानबे हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 202526 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059600510400 अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-39/2026/आई-1269179/001-190 आ0(1)/23-5-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- सम्बंधित जिलाधिकारी।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0। ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
11- सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
12- सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।